परिवहन निगम मुख्यालय

लखनऊ

पत्रांक :– 3336 एम. टी. /2019 –50 एमटी/2002 दिनांक 30.10 2019

1– समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक
2– समस्त सेवा प्रबन्धक
3– समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (डिपो)
उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषय– <u>डिपो को लोकल स्तर पर स्पेयर पार्ट्स क्रय हेतु प्रति कि0मी0 के आधार पर दी जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पूर्व में दिये गये निर्देशों एवं पत्रांक 745 प्र0प्र0 (एम0एम0टी)पी0ए0 03 दिनांक 06.11.2003 के क्रम में अवगत कराना है कि निदेशक मण्डल की 224 वीं बैठक दिनांक 18.10.2019 के मद सं0 19 में डिपोज को लोकल स्तर पर क्रय हेतु प्रति अर्जित कि0मी के आधार पर दी जाने वाली धनराशि को गत माह के अर्जित कि0मी0 पर 05 पैसे प्रति कि0मी के स्थान पर 10 पैसे प्रति कि0मी0 के अनुसार निम्न प्रतिबन्धों के अधीन उच्चीकृति करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है:–

(i) यह व्यय केवल बसों के मरम्मत कार्यो में प्रयुक्त किया जायेगा।
(ii) प्रत्येक डिपो का आनरोड प्रतिशत न्यूनतम 97% रहेगा।
(iii) डिपो की बस उपयोगिता विगत वर्ष से कम नही होगी।
(iv) उक्त बढोत्तरी के सम्बन्ध में त्रैमासिक समीक्षा की जायेगी। यदि किसी डिपो विशेष द्वारा बिन्दु (i), (ii) एवं (iii) की शर्तो को पूर्ण नही किया जाता है तो उस डिपो को आगामी त्रैमास हेतु पुनः 05 पैसा प्रति अर्जित कि0मी0 व्यय पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

पुनः अगली त्रैमासिक समीक्षा के उपरान्त उपरोक्तानुसार बिन्दु (i), (ii) एवं (iii) की शर्तो को पूर्ण करने वाले डिपो को ही पुनरीक्षित कर 10 पैसा प्रति अर्जित कि0मी0 पर उच्चीकृत किया जायेगा।

(v) प्रबन्ध निदेशक महोदय के परिपत्र संख्या –983एमटी/2002 –50एमटी/2002 दिनांक 30.04.2002 (पताका "अ") एवं अपर प्रबन्ध निदेशक महोदय के परिपत्र संख्या–2625 एमटी/11–50एमटी/2002 दिनांक 29.11.2011 द्वारा डिपो को प्रोत्साहित किये जाने हेतु विभिन्न मानक को पूर्ण करने वाले डिपों को 05 पैसे प्रति अर्जित कि0मी0 के अतिरिक्त 05 पैसे प्रति अर्जित कि0मी0, अर्थात 10 पैसे प्रति अर्जित कि0मी0 पर अनुमन्य भुगतान सम्बन्धी उपरोक्त परिपत्र अतिक्रमित किया जाता है। अतः अब समान रूप से सभी डिपोज को 10 पैसे प्रति अर्जित कि0मी के अनुसार धनराशि आगामी 3 माह हेतु अनुमन्य होगी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि माह नवम्बर 2019 से जनवरी 2020 के तीन माहों के संचालन प्रतिफलों में इस प्रकार सुधार किया जाय कि इस अवधि में डिपों की गत वर्ष की बस उपयोगिता में वृद्धि हो तथा आनरोड प्रतिशत 97 प्रतिशत से अधिक रहे।

..............2

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक का यह दायित्व होगा कि वे उपरोक्त अवधि के डिपोवार प्रतिफलों की समीक्षा करते हुए 3 माह पश्चात दिनांक 10 फरवरी 2020 तक अपने क्षेत्र के डिपोवार गतवर्ष व वर्तमान अवधि के बस उपयोगिता व आनरोड प्रतिशत का विवरण अपनी संस्तुति के साथ उपलब्ध करायें ताकि माह फरवरी, मार्च एवं अप्रैल 2020 की अवधि हेतु 10 पैसे प्रति कि0मी0 की डिपोवार अनुमन्यता पर विचार किया जा सके। भविष्य में भी यह समीक्षा त्रैमासिक आधार पर ही की जाएगी।

उपरोक्त व्यवस्था माह नवम्बर 2019 सें प्रभावी होगी शेष नियम व शर्तें पूर्ववत रहेंगीं।

(जयदीप वर्मा)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रावि0)

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सहा0 प्रबन्धक प्रबन्ध निदेशक/अपर प्रबन्धक निदेशक महोदय कैम्प को महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2– वित्त नियंत्रक परिवहन निगम मुख्यालय।
3– समस्त नोडल अधिकारी परिवहन निगम मुख्यालय।
4– समस्त प्रधान प्रबन्धक परिवहन निगम मुख्यालय।
5– समस्त सहा0 क्षेत्रीय प्रबन्धक वित्त /सहा0 क्षेत्रीय लेखाधिकारी परिवहन निगम ।

(जयदीप वर्मा)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रावि0)